

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज०

2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।


महोदय,

निवेदन है कि ग्राम तोडा जमावंदी सं 2072-76 के खाता सं 44 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में मूलत इन्द्राज/लिपिकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमावंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
44	पृथ्वीलाल पुत्र रामलाल सि/४ जाति--चमार साठेई खातेदार	44	पृथ्वीलाल पुत्र रामलाल सि/४ जाति--चमार साठेई खातेदार	पराीलाल पुत्र रामलाल सि/४ जाति--चमार साठेई खातेदार


वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. पृथ्वीलाल पुत्र रामलाल सि/४ चमार
2. पृथ्वीलाल पुत्र रामलाल जाति-चमार
3. जगदीश पुत्र रामलाल जाति-चमार
4. \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर  
  
जगदीश चमार

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम तोडा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमावंदी एवं वर्तमान जमावंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

  
हस्ताक्षर पटवारी  
प०म०...तोडा

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

  
भू०अभिलेख निरीक्षक  
भू०अ०नि०वृ०...तोडा  
27/02/25  


रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सास्कार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पढवारी एवं भूअगितेख निरीक्षक अनुसार साम कोरदा के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्दाज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सावर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसीलदार (भू.अ.)  
पिडावा जि. झालावाड़

आदेश

न्यायालय सपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 327

दिनांक : 06/10/25

वादी/प्राथी के साम कोरदा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्दाज को तहसीलदार (पिडावा) की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्दाज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना एकीकार किया जाता है। तहसीलदार (पिडावा) को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्दाज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

सपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड़ राज०